85

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1665—तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—09—2003 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 51/1995—96/अपील

1— सुदामा प्रसाद पुत्र श्री वल्देव प्रसाद,
2— त्रयोगीनारायण पुत्र श्री वल्देव प्रसाद,
3— लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री वल्देव प्रसाद,
समस्त निवासीगण— ग्राम अमायन, तहसील मेंहगांव, जिला— भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामसनेही पुत्र श्री मूंगाराम
2— आशाराम पुत्र श्री मूंगाराम
3— रामनरेश पुत्र श्री मूंगाराम
समस्त निवासीगण— ग्राम— सढा, तहसील मेंहगांव, जिला— भिण्ड, म0प्र0
4— रामसेवक पुत्र श्री महादेव प्रसाद,
निवासी— ग्राम अमायन, तहसील मेंहगांव, जिला— भिण्ड, म0प्र0
5— बी0 के0 शखवार नायब तहसीलदार,
तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड, म0प्र0
वर्तमान तहसीलदार, तहसील खनियाधाना
जिला— शिवपुरी, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—09—2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त अमायन ने अपने प्रकरण कमांक 02/94–95/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 29.01.95 द्वारा विवादित भूमि का नामातंरण आवेदकगण के नाम स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 101/94–95/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 24.11.95 को अनावेदकगण की अपील अस्वीकार कर, विचारण न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.01.95 स्थिर रखा। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जो प्रकरण क्रमांक 51/1995–96/अपील पर दर्ज होकर दिनांक 26–09–2003 द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में अभिलेख का पूर्ण अवलोकन नहीं किया और न ही यह विचार किया कि प्रकरण नामांतरण का न होकर धारा 190, 110 भूमि स्वामी अधिकार संबंधी है । आवेदक एवं अनावेदक –4 की आपस में राजीनामा किये जाने के सम्पूर्ण स्वत्व प्राप्त थे, जो नियमानुसार स्वीकार किया गया है। अपर आयुक्त की यह उपधारणा कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव द्वारा अवैध कार्यवाही की ओर ध्यान नहीं दिया है, यह औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि आदेश अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की अपील पूर्ण विचार में लेकर निरस्त किया है । उक्त आदेश को स्थिर रखा जाना अवश्यकता था, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश क्रमशः विचारण न्यायालय एवं अनुवभागीय अधिकारी के आदेश समवर्ती निष्कर्ष पर थे, जिन्हें कानूनन बिना किसी कानूनी विरोधाभाष के निरस्त नहीं करना था । उन्होंने ने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/रेस्पोडेन्ट की अपील , अवधि बाह्य होने पर भी किसी भी प्रकार की विवेचात्मक फाईण्डिंग न देकर आदेश त्रुटिपूर्ण पारित किया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश को विधि के विपरीत होने से निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि आवेदक क्र0 1 लगायत 3 में संहिता की धारा 190, 110 के तहत विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अतरसूमावली के नाम के स्थान पर अपना नाम लिखने के लिये अनुरोध किया । आवेदन में अतरसूमावली को फौत रामसेवक को उसका वारिस लेकर पक्षकार बनाया गया । रामसेवक को नोटिस जारी किया गया कि ''मौजूद नहीं मिल'' उसके वाद प्रकरण में एक राजीनामा लगा है, जिसमें रामसेवक तथा आवेदकगण के हस्ताक्षर है । प्रकरण में बी.1 किश्तबन्दी खतौनी लगी है, जिसमें अलग से सुदामा प्रसाद आदि को लालस्याही से उसके नाम के पेटे उपकृषक लिखा गया है । यह स्पष्ट नहीं है कि किसके आदेश से उपकृषक दर्ज किया गया है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि प्रकरण में विधिवत इश्तहार जारी नहीं किया गया । प्रकरण में अत्यंत संक्षिप्त कार्यवाही कर आदेश पारित करते हुये आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित कर दिया । प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे यह पता चला सके कि अतरसूमावली ने आवेदकगण को अपनी भूमि जुतवाने के लिये कोई शर्त नहीं की थी, उसके कौन–कौन से गवाह थे । बिना किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के केवल बी 1 में उपकृषक की संदिग्ध पृविष्टि होने मात्र से बिना छानबीन किये विचारण न्यायालय ने आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी ने भी इस अवैध कार्यवाही की ओर ध्यान न देते हुये, विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है, जो कि विधिसंगत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–09–2003 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर